प्रदेश में स्थापित होंगे जैव ऊर्जा उद्योग, रुकेगा प्रदूषण

योगी कैबिनेट ने नई जैव ऊर्जा नीति को दी मंजूरी, 5500 करोड़ निवेश का लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। योगी कैबिनेट ने प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम की स्थापना, पराली जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन का प्लांट लगाने पर 75 लाख रुपये प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये, बायोकोल उत्पादन पर 75 हजार रुपये प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी की जाएगी। इसी तरह बायो डीजल उत्पादन प्लांट की स्थापना पर भी तीन लाख रुपये प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाएगी। अपशिष्ट आपूर्ति शृंखला का विकास करने के लिए हर तहसील में एक बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार का दावा है कि नीति के क्रियान्वयन से खेतों में पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा। जैविक अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा और बायोमैन्यूर की उपलब्धता से खेतों में उर्वरकता बढ़ेगी। कैबिनेट बैठक के बाद नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि नीति के तहत पांच वर्ष में 5500 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। नीति के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजित होगा। आयातित कच्चे तेल और पेट्रोलियम गैस पर निर्भरता कम होगी। अब तक किसान जिस पराली को जलाने के लिए परेशान रहते थे, अब उसी पराली को बेचकर वह कमाई कर सकेंगे। वहीं प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में मौजूद कृषि अपशिष्ट, कृषि उपज मंडियों का अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों का अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट और जैविक अपशिष्ट का निस्तारण हो सकेगा।

हर तहसील पर स्थापित होगा एक बायोगैस प्लांट

30 वर्ष के लिए लीज पर दी जाएगी भूमि : शर्मा ने बताया कि जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना, फीड स्टॉक के संग्रहण व भंडारण के लिए अधिकतम 30 वर्ष तक लीज पर भूमि एक रुपये प्रति एकड़ वार्षिक टोकन लीज रेंट पर उपलब्ध कराई जाएगी। स्टांप शुल्क में शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। विद्युत कर शुल्क में दस वर्ष तक शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।

पांच वर्ष में 1040 करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार

- प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल और बायो एथनॉल के उत्पादन प्लांट लगाने के लिए पांच वर्ष में 1040 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना से पांच वर्ष में एक हजार टन सीबीजी प्रतिदिन बायोगैस का उत्पादन होगा। इस पर करीब 750 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- बायोकोल प्लांट से पांच वर्ष में 4 हजार टन प्रतिदिन बायोकोल का उत्पादन किया जाएगा। इस पर करीब 30 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
- बायो एथनॉल और बायो डीजल प्लांट से पांच वर्ष में 2 हजार किलोलीटर बायो एथनॉल और बायो डीजल का उत्पादन किया जाएगा। इन पर पांच वर्ष में 60 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
- बायोमास के संग्रहण के लिए रेकर, बेलर, ट्रॉलर पर अतिरिक्त अनुदान देकर 500 फार्म मशीनरी एक्यूपमेंट यूनिट की स्थापना की जाएग और 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन, बनेगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन

कैबिनेट की मंजूरी, मुख्यमंत्री होंगे कमीशन के अध्यक्ष, योजना भवन में होगा मुख्यालय

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (एसटीसी) का गठन होगा। राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन से संबंधित इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री इस कमीशन के अध्यक्ष होंगे। इसका मुख्यालय लखनऊ स्थित योजना भवन होगा। इसका मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न संसाधनों (भौतिक, वित्तीय व जनशक्ति) का अनुमान लगाकर राज्य के विकास में इनके सर्वोत्तम उपयोग की नीति तैयार कर सुझाव देना होगा।

एसटीसी के उपाध्यक्ष के रूप में ख्याति प्राप्त अनुभवी लोक प्रशासक, शिक्षाविद या विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ का मनोनयन मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। उपाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष होगा। मुख्यमंत्री के अनुमोदन से विशेष परिस्थितियों में उसे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। राज्य सरकार के वित्त, कृषि, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, जल संसाधन, नगर विकास मंत्री और नियोजन विभाग के मंत्री कमीशन के पदेन सदस्य होंगे। भविष्य में एसटीसी से जुड़े जरूरी संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किए जा सकेंगे।

ये होंगे पदेन सदस्य

एसटीसी में मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव समाज कल्याण के अलावा वित्त, कृषि, नगर विकास, ग्राम्य विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन और नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव शासकीय पदेन सदस्य होंगे। इनके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से नामित सामाजिक क्षेत्र, कृषि, संबंधित सेवाओं, अर्थव्यवस्था, वित्त, औद्योगिक विकास, निवेश, प्रौद्योगिकी व ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ कमीशन के गैर सरकारी सदस्य होंगे।

कमीशन के ये होंगे कार्य

- राष्ट्रीय एजेंडा के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं के साथ ही राज्य की आवश्यकताओं, संसाधनों व क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायों की संरचना करना। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सुझाव देना।
- जनमानस के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करने व राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों को चिह्नित करना।
- आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में यथासंभव पीपीपी मॉडल के जरिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग के लिए सुझाव देना।
- विकास कार्यों के प्रतिफल का नियमित रूप से मूल्यांकन करते हुए सुझाव देना।
- सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी व आधुनिक संचार साधनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करना। उच्च तकनीकी संस्थाओं से समन्वय कर ज्ञान हस्तांतरण का लाभ प्राप्त करने के लिए संसाधन केंद्र व ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना।
- विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए मार्गदर्शन देना और अन्य कार्य जो समय-समय पर सौंपे जाएं, उन्हें करना।

सभी रजिस्ट्री लेखपत्रों का होगा डिजिटलीकरण

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सभी उपनिबंधक कार्यालयों में हुए रजिस्ट्री लेखपत्रों (डीड) का डिजिटलीकरण कराने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक 2002 से लेकर 2017 तक की सभी रजिस्ट्री के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कराया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से रजिस्ट्री दस्तावेज में कोई हेरफेर नहीं हो सकेगा। यह काम एक साल में पूरा किया जाएगा। ब्यूरो